प्रेस नोट-जनपद सीतापुर

"कानून-व्यवस्था समीक्षा बैठक: प्रभावी जनसुनवाई, त्वरित न्याय और जीरो टॉलरेंस हमारी प्राथमिकता"

जनपद सीतापुर पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित

दिनांक:-27.10.2026

आज दिनांक 27.10.2026 को पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर, श्री अंकुर अग्रवाल महोदय की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित दधीचि सभागार में मासिक अपराध गोष्ठी (क्राइम मीटिंग) का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं समस्त थाना/शाखा प्रभारी उपस्थित रहे।

बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर दिशा-निर्देश दिए गए एवं समीक्षा की गई:

1. **अनावरण हेतु शेष अभियोगों की समीक्षा:**

   विभिन्न थानों में डकैती, लूट, छिनैती, हत्या, नकबजनी, चोरी और वाहन चोरी से संबंधित लम्बित मामलों के शीघ्र अनावरण और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए।

2. **गैंगेस्टर एक्ट एवं ऐतिहासिक अपराधियों पर कार्रवाई:**

   जनपद में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत नवीन प्रस्ताव तैयार करने और पूर्व में चिन्हित मामलों में प्रभावी पैरवी कर जब्तीकरण व कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, पुरस्कार घोषित अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमों को दबिश बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

3. **हिस्ट्रीशीटर (HS) एवं यक्ष ऐप फीडिंग:**

   यक्ष ऐप (Yaksha App) पर अपराधियों के भौतिक सत्यापन, ग्राम/मोहल्लों की फीडिंग तथा नए हिस्ट्रीशीट खोलने के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, ताकि अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जा सके।

4. **महिला सुरक्षा एवं 'मिशन शक्ति' अभियान:**

जनपद में चलाए जा रहे 'मिशन शक्ति फेज-6' अभियान के अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, जागरूकता कार्यक्रमों, एंटी रोमियो स्क्वॉड की सक्रियता तथा थानों पर गठित महिला हेल्पडेस्क पर प्राप्त शिकायतों के त्वरित निस्तारण की सराहना करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

5. **सड़क सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन (Zero Fatality District):**

जनपद को 'जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट' बनाने के उद्देश्य से गठित सीसी (CC) टीमों के कार्यों, स्पीड लेजर गन, ब्रेथ एनालाइजर के प्रयोग, ओवरस्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग तथा अवैध कटों के विरुद्ध प्रवर्तन (Enforcement) कार्रवाई की समीक्षा की गई।

6. **साइबर अपराध और डिजिटल सुदृढ़ीकरण:**

साइबर हेल्पडेस्क पर प्राप्त शिकायतों, वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में धनराशि होल्ड/वापस कराने की प्रगति, सीईआईआर (CEIR) पोर्टल के माध्यम से खोए/चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग व डिजिटल वालंटियर्स की गतिविधियों की समीक्षा की गई।

7. **जन-सुनवाई एवं आईजीआरएस (IGRS) निस्तारण:**

थानों और पुलिस अधीक्षक कार्यालय (जनता दर्शन) में आने वाले प्रत्येक पीड़ित की समस्या पर **प्रभावी जनसुनवाई** सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए। आईजीआरएस (IGRS) एवं शिकायती प्रार्थना-पत्रों का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर हो, ताकि हर जरूरतमंद को **त्वरित न्याय** मिल सके। अपराध और अपराधियों के प्रति **'जीरो टॉलरेंस'** की नीति के तहत लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

सीतापुर पुलिस

सीतापुर पुलिस

सीतापुर पुलिस